फा.सं.3/2/2021-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

93, संसद भवन,
नई दिल्ली।

दिनांक: 27 मई, 2021

सेवा में

उप निदेशक,
रोजगार समाचार,
सूचना भवन, कमरा नं.764, 7वां तल,
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड़,
नई दिल्ली-110003

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय में विभिन्न पदों में रिक्तियों के विज्ञापन का प्रकाशन।

महोदय,

मुझे आपसे 'रोजगार समाचार' के अगले अंक में संलग्न रिक्ति परिपत्र को प्रकाशित करने का अनुरोध करने का निदेश हुआ है। वे पद जिनके लिए रिक्ति परिपत्र प्रकाशित कराया जा रहा है, पदानुक्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और इसलिए उन्हें लंबे समय तक रिक्त नहीं रखा जा सकता है।

इस संबंध में बिल भुगतानार्थ इस मंत्रालय को भेज दिया जाए।

भवदीय,

(किरण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034467

फा.सं.3/2/2021-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

93, संसद भवन,
नई दिल्ली।

दिनांक: 27 मई, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति आधार पर विभिन्न पदों का भरा जाना।

संसदीय कार्य मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर निम्नलिखित पदों को भरने के लिए पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

(क)
i) पद का नाम - निजी सचिव
ii) पदों की संख्या - 02
iii) वेतन स्तर - वेतन मैट्रिक्स का स्तर 8 [पूर्व संशोधित वेतन बैंड 2 (रू.9300-34800)+ग्रेड वेतन रू.4800]
iv) प्रतिनियुक्ति की अवधि - आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे कार्य की आकस्मिकताओं पर निर्भर रहते हुए और आगे बढ़ाया जा सकता है।
v) ड्यूटी की प्रकृति - सचिवालयिक प्रकृति
vi) पात्रता शर्तें - अनुबंध-I(क)

(ख)
i) पद का नाम - अनुभाग अधिकारी
ii) पदों की संख्या - 07
iii) वेतन स्तर - वेतन मैट्रिक्स का स्तर 8 [पूर्व संशोधित वेतन बैंड 2 (रू.9300-34800)+ग्रेड वेतन रू.4800]
iv) प्रतिनियुक्ति की अवधि - आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे कार्य की आकस्मिकताओं पर निर्भर रहते हुए और आगे बढ़ाया जा सकता है।
v) ड्यूटी की प्रकृति - प्रशासनिक प्रकृति और इसमें संसदीय एवं विधायी कार्य शामिल होंगे।
vi) पात्रता शर्तें - अनुबंध-I(ख)

(ग)
i) पद का नाम - सहायक अनुभाग अधिकारी
ii) पदों की संख्या - 04
iii) वेतन स्तर - वेतन मैट्रिक्स का स्तर 7 [पूर्व संशोधित वेतन बैंड 2 (रू.9300-34800)+ग्रेड वेतन रू.4600]
iv) प्रतिनियुक्ति की अवधि - आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए, जिसे कार्य की आकस्मिकताओं पर निर्भर रहते हुए और आगे बढ़ाया जा सकता है।
v) ड्यूटी की प्रकृति - प्रशासनिक प्रकति
vi) पात्रता शर्तें - अनुबंध-I(ग)

इस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से योग्य अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अधिकारी का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2010-स्थापना (वेतन-II) दिनांक 17.06.2010 के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

केवल ऐसे अधिकारियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा, जिनकी आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदनों को उचित माध्यम से भेजा जाना चाहिए और उनके साथ निम्नलिखत विवरण संलग्न होना चाहिए: (i) **अनुबंध-II** में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में जीवन-वृत्त; (ii) अधिकारी के ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. डोजियर, कम से कम पिछले पांच वर्षों की ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. सहित अथवा अधिकारी की कम से कम पिछले पांच वर्षों की ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. की स्पष्ट फोटोप्रतियां जोकि ग्रुप 'क' के अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित हों और उनके साथ इस बात का प्रमाणपत्र हो कि विगत वर्षों की ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. में कोई 'प्रतिकूल टिप्पणी' नहीं हैं; (iii) संवर्ग संबंधी अनुमति; (iv) सतर्कता और अनुशासनिक दृष्टि से अनुमति; (v) पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई छोटी अथवा बड़ी शास्तियों, यदि कोई हों, को दर्शाने वाला विवरण; और (vi) यह प्रमाणपत्र कि चयन किए जाने की स्थिति में, अधिकारी को पद का कार्यभार संभालने के लिए कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इच्छुक और योग्य अधिकारियों के निर्धारित प्रपत्र में भरे हुए आवेदन **श्रीमती सुमन बारा, निदेशक (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय, कमरा न.86, संसद भवन, नई दिल्ली को रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन के भीतर भिजवाने की कृपा करें।** ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा जिनके साथ उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित अपेक्षित प्रमाणपत्र/दस्तावेज़ संलग्न नहीं होंगे अथवा जो आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होंगे।

(किरण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034467

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिव।
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी), भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. लेखा महानियंत्रक, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., संसदीय कार्य मंत्रालय को इस परिपत्र को मंत्रालय की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अनुबंध - I(क)

1. पद का नाम : निजी सचिव

2. वर्गीकरण : सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख' राजपत्रित

3. वेतनमान : वेतन मैट्रिक्स का स्तर 8
[पूर्व संशोधित वेतन बेंड 2 (रू.9300-34800)+ग्रेड वेतन रू.4800]

4. पात्रता शर्तें : **केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी:-**

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारक; अथवा

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 [पूर्व संशोधित वेतन बेंड 2 (रू.9300-34800)+ग्रेड वेतन रू.4600] अथवा समकक्ष ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा की हो; अथवा

(iii) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 [पूर्व संशोधित वेतन बेंड 2 (रू.9300-34800)+ग्रेड वेतन रू.4200] अथवा समकक्ष ग्रेड में दस वर्ष की सेवा की हो;

(ख) (i) आशुलिपि (हिंदी/अंग्रेजी) में सौ शब्द प्रति मिनट की गति हो; और

(ii) आशुलिपि (हिंदी/अंग्रेजी) का तीन वर्ष का अनुभव।

5. टिप्पणी

पोषक वर्ग में विभागीय अधिकारीगण, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारण के पात्र नहीं होंगे।

इस मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति की अवधि आरंभ में एक वर्ष होगी। इस अवधि को कार्य की आकस्मिकताओं पर निर्भर रहते हुए एक वर्ष की अवधि तक और बढ़ाया जा सकता है।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुबंध - I(ख)

1. पद का नाम : अनुभाग अधिकारी

2. वर्गीकरण : सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख' राजपत्रित

3. वेतनमान : वेतन मैट्रिक्स का स्तर 8
[पूर्व संशोधित वेतन बैंड 2 (रू.9300-34800)+ग्रेड वेतन रू.4800]

4. पात्रता शर्तें : **केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी:-**

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारक; अथवा

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 [पूर्व संशोधित वेतन बैंड 2 (रू.9300-34800)+ग्रेड वेतन रू.4600] अथवा समकक्ष ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा की हो।

(ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष; और

(ii) प्रशासनिक या संसदीय कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

5. **टिप्पणी**

पोषक वर्ग में विभागीय अधिकारीगण, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारण के पात्र नहीं होंगे।

इस मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति की अवधि आरंभ में एक वर्ष होगी। इस अवधि को कार्य की आकस्मिकताओं पर निर्भर रहते हुए एक वर्ष की अवधि तक और बढ़ाया जा सकता है।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुबंध - I(ग)

1. पद का नाम : सहायक अनुभाग अधिकारी

2. वर्गीकरण : सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख' अराजपत्रित

3. वेतनमान : वेतन मैट्रिक्स का स्तर 7
[पूर्व संशोधित वेतन बेंड 2 (रू.9300-34800)+ग्रेड वेतन रू.4600]

4. पात्रता शर्तें : **केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी:-**

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारक; अथवा

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 [पूर्व संशोधित वेतन बेंड 2 (रू.9300-34800)+ग्रेड वेतन रू.4200] अथवा समकक्ष ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो; अथवा

(iii) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 [पूर्व संशोधित वेतन बेंड 1 (रू.5200-20200)+ग्रेड वेतन रू.2800] अथवा समकक्ष ग्रेड में छह वर्ष की सेवा की हो;

(iv) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 [पूर्व संशोधित वेतन बेंड 1 (रू.5200-20200)+ग्रेड वेतन रू.2400] अथवा समकक्ष ग्रेड में दस वर्ष की सेवा की हो;

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री या समकक्ष।

5. टिप्पणी

पोषक वर्ग में विभागीय अधिकारीगण, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारण के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी दूसरे संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुबंध II

जीवनवृत्त का प्रोफार्मा

1. नाम और पता, स्पष्ट अक्षरों में :---------------------------------------

2. जन्मतिथि (ईस्वी सन् में) :---------------------------------------

3. केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख :---------------------------------------

4. शैक्षिक योग्यता :---------------------------------------

5. क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं पूरी करते हैं। (यदि कोई योग्यता नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समकक्ष मानी गई है तो उसके प्राधिकार के बारे में बताएं।)

अपेक्षित अनुभव		अधिकारी की शैक्षिक योग्यता	शैक्षिक योग्यताएं/अनुभव
अनिवार्य	(1)		
	(2)		
	(3)		
वांछनीय	(1)		
	(2)		

6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि ऊपर आपके द्वारा की गई प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए क्या आप इस पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

____

7. कालक्रम में नियोजन का ब्यौरा। यदि नीचे जगह कम है तो एक अलग कागज संलग्न करें जो आपके हस्ताक्षर द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित हो।

क्र.सं.	कार्यालय/संस्था/ संगठन	पद, जिस पर कार्य किया	तारीख से	तारीख तक	वेतनमान और मूल वेतन	कार्य की प्रकृति

8. वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थाई: -------------------

9. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर है तो कृपया बताएं:-

(क) आरंभिक नियुक्ति की तारीख : ------------------------------

(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि : ------------------------------

(ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम : ------------------------------

10. वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त विवरण

कृपया बताएं कि किसके अधीन कार्यरत हैं:-

(क) केंद्र सरकार :----------------------------------

(ख) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र :----------------------------------

11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो वह तारीख बताएं जब से संशोधन हुआ है और अपना संशोधन पूर्व वेतनमान भी बताएं। :----------------------------------

12. कुल परिलब्धियां जिनका अब प्रतिमास आहरण करते हैं। :----------------------------------

13. ऐसी अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें। यदि जगह अपर्याप्त है तो अलग कागज संलग्न करें।

14. क्या अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित हैं :----------------------------------

15. अभ्युक्ति

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरी पूरी जानकारी के अनुसार सत्य, पूरण और सही हैं तथा मैं चयन के बाद अपनी उम्मदवारी वापस नहीं लूंगा/लूंगी।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख---------------------

पता---------------------------

प्रतिहस्ताक्षर------------------------

(नियोक्ता)

<u>प्रमाणपत्र</u>

i) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... द्वारा दिए गए विवरण का सत्यापन कर लिया गया है और उसे सही पाया गया है।

ii) प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है और/अथवा न ही ऐसा करने का विचार है। इसके अलावा, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर कोई छोटी/बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है।

iii) अधिकारी की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाती है।

(कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर मोहर सहित)

अग्रेषण प्राधिकारी द्‌वारा भरा जाना है

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिया गय विवरण सही है और अधिकारी को प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। उनका आवेदन (क) सतर्कता अनापत्ति रिपोर्ट; (ख) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र और (ग) पिछले पांच वर्षों की ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. की प्रतियों सहित अग्रेषित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर ____________________

नाम ____________________

पदनाम ____________________

(अग्रेषण अधिकारी का मंत्रालय/विभाग
तारीख और कार्यालय की मुहर सहित)